



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13042021-226569
CG-MH-E-13042021-226569

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943

No. 155]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 18 मार्च, 2021

सं. टीएएमपी/28/2019-डीपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने एतद्वारा आदेश संख्या टीएएमपी/28/2019-डीपीटी दिनांक 10 अक्तूबर 2019 द्वारा अनुमोदित इसके विद्यमान दरमानों में निर्धारित कंटेनर पोतों के पोत संबंधी प्रभारों में छूट से संबंधित टिप्पण में संशोधन करने के लिए दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) से प्राप्त अनुरोध का निपटान कर दिया है, जैसाकि इसके साथ संलग्न आदेश में दिया गया है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/28/2019-डीपीटी

दीनदयाल पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम:

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(मार्च 2021 के 16 वें दिन को पारित)

यह मामला, जहां तक कंटेनर पोतों के पोत संबंधी प्रभारों में निर्धारित छूट का संबंध है, जैसाकि आदेश संख्या टीएएमपी/28/2019-डीपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 द्वारा अनुमोदित डीपीटी द्वारा अपने विद्यमान दरमानों में प्रस्ताव किया गया है, पत्तन संबंधी देयताओं के लिए अनुसूची 1 के अंतर्गत, टिप्पण संख्या 11 में, विविध पाइलटेज शुल्क के लिए अनुसूची 2.2 के पश्चात टिप्पण संख्या 23 और बर्थ किराया प्रभारों से संबंधित अनुसूची 3.1.ख के पश्चात टिप्पण 9 के अनुमोदन और संशोधन के लिए प्राप्त दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) के पत्र दिनांक 19 जनवरी 2021 द्वारा प्राप्त उनके अनुरोध से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने डीपीटी के दरमानों (एसओआर) में सामान्य संशोधन के लिए डीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर संशोधित दरमान और निष्पादन मानकों का अनुमोदन करते हुए आदेश संख्या टीएएमपी/28/2019-डीपीटी दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 को पारित कर दिया है। संशोधित दरमान भारत के राजपत्र में 30 अक्टूबर 2019 को राजपत्र संख्या 377 द्वारा अधिसूचित किए गए थे। तत्पश्चात, एक सकारण आदेश राजपत्र संख्या 441 दिनांक 02 दिसम्बर 2019 द्वारा एक आदेश अधिसूचित किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित संशोधित दरमान भारत के राजपत्र एसओआर की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात लागू हुए थे और संशोधित एसओआर के लागू होने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 28 नवम्बर 2022 तक लागू रहेंगे।

3. पत्तन देयताओं के लिए अनुसूची 1 के अंतर्गत टिप्पण संख्या 11, विविध पाइलटेज शुल्क के लिए अनुसूची 2.2 के पश्चात टिप्पण संख्या 23 और डीपीटी के विद्यमान एसओआर में निर्धारित बर्थ किराया प्रभारों, जैसाकि पत्तन द्वारा प्रस्ताव किया गया है, से संबंधित अनुसूची 3.1.ख के पश्चात टिप्पण संख्या 9 में से प्रत्येक में एकरूपता है, जैसाकि नीचे दिया गया है:

“31.12.2020 तक कंटेनर पोतों को निम्नलिखित छूट प्रदान की जाएगी

(i)	विदेशगामी कंटेनर पोत	40000 जीआरटी तक	50%
(ii)	विदेशगामी कंटेनर पोत	40001 से 65000 जीआरटी	75%
(iii)	विदेशगामी कंटेनर पोत	65001 जीआरटी से आगे	80%
(iv)	तटीय कंटेनर पोत		तटीय पोतों के वर्तमान प्रभारों पर 40 %

4.1. उक्त टिप्पणों के संदर्भ में, डीपीटी ने, अब अपने पत्र दिनांक 19 जनवरी 2021 द्वारा डीओपी में 01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक की निर्धारित अवधि के पश्चात कंटेनर पोतों की कॉलिंग के लिए पोत संबंधी प्रभारों (वीआरसी) पर छूट का अनुमोदन करने का अनुरोध किया है। डीपीटी द्वारा किए गए प्रमुख निवेदन संक्षेप में इस प्रकार हैं:

- प्राधिकरण ने 31 दिसम्बर 2020 तक डीपीटी के प्रस्तावित दरमानों में स्पष्ट किए गए पत्तन देयों, मार्गदर्शन प्रभारों और बर्थ किराया में छूट से संबंधित डीपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित टिप्पण का अनुमोदन कर दिया है तभी से डीपीटी द्वारा राजस्व अनुमानों पर प्रभावों को देखा गया है।
- न्यासी मण्डल ने 16 दिसम्बर 2020 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड के संकल्प संख्या 96 द्वारा 01.01.2021 से 31.12.2021 तक एक और वर्ष के लिए डीपीटी में कॉल किए जाने वाले कंटेनर पोतों के पोत संबंधी प्रभारों पर छूट का विस्तार करने का संकल्प किया गया है।

- (iii). उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, डीपीटी ने प्राधिकरण से 31.12.2021 तक डीपीटी में कंटेनर पोतों के कॉलिंग के पोत संबंधी प्रभारों पर निम्नलिखित छूट पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए अनुरोध किया है:

31.12.2021 तक कंटेनर पोतों को निम्नलिखित छूट प्रदान की जाएगी:

(i).	विदेशगामी कंटेनर पोत	40,000 तक जीआरटी	50%
(ii).	विदेशगामी कंटेनर पोत	40,001 से 65,000 तक जीआरटी	75%
(iii).	विदेशगामी कंटेनर पोत	65,001 जीआरटी से आगे	80%
(iv).	तटीय कंटेनर पोत		तटीय पोतों के वर्तमान प्रभारों पर 40%

4.2. इस प्रकार, संक्षेप में, पत्तन का प्रस्ताव जहां तक डीपीटी में कंटेनर पोतों की कॉलिंग के पोत संबंधी प्रभारों पर छूट, जो 31 दिसम्बर 2020 तक है, डीपीटी के न्यासी मण्डल के संकल्प दिनांक 16 दिसम्बर 2020 द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन पर आधारित 01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक एक और वर्ष की अवधि लागू करने का संबंध है, पत्तन देयताओं, पाइलटेज शुल्क और बर्थ किराया प्रभारों की अनुसूची के अंतर्गत विद्यमान टिप्पण में संशोधन करना है। चूंकि यह प्रस्ताव पहले से ही बोर्ड द्वारा दिसम्बर 2020 में अनुमोदित कर दिया गया था और इसका आशय यह है कि बोर्ड के संकल्प के अनुसार डीपीटी पर अधिक संख्या में पोतों का आवागमन हो, कंटेनर पोतों के पोत संबंधी प्रभारों में विद्यमान छूट की अवधि का 01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक विस्तार करने संबंधी डीपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।

5.1. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से तथा सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर डीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित डीपीटी के विद्यमान एसओआर में प्रभारों को प्रत्येक विद्यमान टिप्पण अर्थात् अनुसूची 1 पोत देयताएं के अंतर्गत टिप्पण 11, विविध पाइलटेज शुल्क के लिए अनुसूची 2.2 के पश्चात् टिप्पण संख्या 23 और बर्थ किराया के लिए अनुसूची 3.1ख के पश्चात् टिप्पण 9 में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

“31.12.2021 तक कंटेनर पोतों को निम्नलिखित छूट प्रदान की जाएगी :

(i).	विदेशगामी कंटेनर पोत	40,000 तक जीआरटी	50%
(ii).	विदेशगामी कंटेनर पोत	40,001 से 65,000 तक जीआरटी	75%
(iii).	विदेशगामी कंटेनर पोत	65,001 से आगे जीआरटी	80%
(iv).	तटीय कंटेनर पोत		तटीय पोतों के विद्यमान प्रभारों पर 40%

”

5.2. इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित डीपीटी के विद्यमान एसओआर में उक्त टिप्पणों में संशोधन डीपीटी के न्यायी मंडल के अनुमोदन के अनुरूप 01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक लागू होंगे

5.3. तदनुसार, डीपीटी को विद्यमान एसओआर में संशोधन करने के लिए निदेश दिया जाता है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./19/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th March, 2021

No. TAMP/28/2019-DPT.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the request received from the Deendayal Port Trust (DPT) for amendment to a note as regards rebate in vessel related charges to Container vessels prescribed in its existing Scale of Rates approved vide Order No. TAMP/28/2019-DPT dated 10 October 2019 as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/28/2019-DPT

Deendayal Port Trust

- - -

Applicant

QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 16th day of March, 2021)

This case relates to a request received from Deendayal Port Trust (DPT) vide its letter dated 19 January 2021 for approval of amendment to note no.11 under Schedule 1 for Port dues, note no.23 after Schedule 2.2. Miscellaneous Pilotage fees and note no.9 after Schedule 3.1.B relating to Berth Hire charges as regards rebate in vessel related charges to Container vessels prescribed as proposed by the DPT in its existing Scale of Rates approved vide Order No.TAMP/28/2019-DPT dated 10 October 2019.

2. This Authority has passed an Order No.TAMP/28/2019-DPT dated 10 October 2019 approving the revised Scale of Rates and Performance Standards on the proposal received from the DPT for general revision of its Scale of Rates (SOR). The revised SOR was notified in the Gazette of India on 30 October 2019 vide Gazette No.377. Subsequently, a speaking Order was notified vide Gazette No.441 dated 02 December 2019. The revised SOR notified by this Authority came into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the SOR in the Gazette of India and shall be in force for a period of 3 years from the date the revised SOR came into effect i.e. till 28 November 2022.

3. Each of the note no.11 under Schedule 1 for Port dues, note no.23 after Schedule 2.2. Miscellaneous Pilotage fees and note no.9 after Schedule 3.1.B relating to Berth Hire charges prescribed in the existing SOR of DPT as proposed by the port is uniform as follows:

“ Following rebates to Container vessels shall be granted till 31.12.2020.

(i)	Foreign Container Vessels	Upto 40000 GRT	50%
(ii)	Foreign Container Vessels	40001 to 65000 GRT	75%
(iii)	Foreign Container Vessels	65001 GRT onwards	80%
(iv)	Coastal Container Vessels		40% on the prevailing charges of coastal vessels

4.1. With reference to the said notes, the DPT has, now, vide its letter dated 19 January 2021 requested to approve the rebate on Vessel Related Charges (VRC) to Container Vessels calling at DPT beyond prescribed period i.e. from 01 January 2021 upto 31 December 2021. The main submissions made by the DPT are summarized below:

- (i). The Authority has approved the note as proposed by the DPT relating to rebate in Port dues, Pilotage fees and Berth hire explicitly in the proposed Scale of Rates of DPT till 31 December 2020 since the impact on the Revenue estimate was captured by the DPT.
- (ii). The Board of Trustees, vide Board Resolution No.96 in its meeting held on 16 December 2020 has resolved to extend the rebate on Vessels Related Charges to Container vessels calling at DPT for one more year from 01.01.2021 to 31.12.2021.
- (iii). In view of above, the DPT requests the Authority to consider and approve the following rebate on Vessels Related Charges to Container Vessels calling at DPT upto 31.12.2021 :

Following rebates to Container vessels shall be granted till 31.12.2021.

(i).	Foreign Container Vessels	Upto 40,000 GRT	50%
(ii).	Foreign Container Vessels	40,001 to 65,000 GRT	75%
(iii).	Foreign Container Vessels	65,001 GRT onwards	80%
(iv).	Coastal Container Vessels		40% on the prevailing charges of Coastal Vessels.

4.2. Thus, in short, the proposal of the port is to amend the existing notes prescribed under Schedule of Port dues, Pilotage fees and Berth hire charges as regards the rebate on Vessel Related Charges to Container vessels calling at DPT which is applicable upto 31 December 2020 for a period of one more year from 01 January 2021 upto 31 December 2021 based on the approval of Board of Trustees of DPT vide resolution dated 16 December 2020. Since the proposal is already approved by its Board in December 2020 and is intended to attract more Container traffic at DPT as per the Board resolution, the proposal of the DPT of extending the existing rebate in Vessel related charges to container vessels is approved from 01 January 2021 to 31 December 2021.

5.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, each of the existing notes viz., note no.11 under Schedule 1. Port dues, Note no.23 after Schedule 2.2. for Miscellaneous Pilotage fees and note no.9 after Schedule 3.1.B for Berth hire charges in the existing SOR of DPT is amended as follows as proposed by the DPT:

“Following rebates to Container vessels shall be granted till 31.12.2021.

(i).	Foreign Container Vessels	Upto 40,000 GRT	50%
(ii).	Foreign Container Vessels	40,001 to 65,000 GRT	75%
(iii).	Foreign Container Vessels	65,001 GRT onwards	80%
(iv).	Coastal Container Vessels		40% on the prevailing charges of Coastal Vessels.

”

5.2. The amendments in the said notes in the existing SOR of DPT approved by this Authority will come into effect from 01 January 2021 and shall remain valid till 31 December 2021 in line with the approval of the Board of trustees of DPT.

5.3. The DPT is directed to amend the existing SOR accordingly.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./19/2021-22]